

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी, 2024

सा.का.नि. (अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2024-एकीकृत कर (दर), दिनांक 3 जनवरी, 2024, जिसे सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 3 जनवरी, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में:-

- (i) पृष्ठ 2 पर, पंक्ति संख्या 38 में, "2.5" के स्थान पर, "5", पढ़ें;
- (ii) पृष्ठ 3 पर, पंक्ति संख्या 6 से 10 में,

"प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 20/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, जिसे सा.का.नि. 775(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।" के स्थान पर,

"प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 20/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, जिसे सा.का.नि. 775(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।" पढ़ें।

[फा. सं. - 190354/223/2023-टी.आर.यू]

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव, भारत सरकार